न्यायालय – अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चौहटन, जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी – श्री विजय कुमार (आर.जे.एस)

आपराधिक मूल प्रकरण संख्या – 23/2015

सीआईएस संख्या – 2300/2015

सीएनआर नं. – RJBM09-000262-2015

राजस्थान राज्य

बनाम

रमेश कुमार पुत्र जैतमाल सिंह, उम्र 40 वर्ष, निवासी गडरा रोड, पुलिस थाना गडरा रोड, जिला बाड़मेर।

——अभियुक्त

अपराध अन्तर्गत धारा 14/57, 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम

(14 वर्ष से अधिक पुराना प्रकरण)

उपस्थिति –

1. विद्वान अभियोजन अधिकारी राज्य की ओर से।
2. विद्वान अधिवक्ता श्री उदयभान सिंह राठौड़, अभियुक्त की ओर से।

–: **निर्णय** :– **दिनांक 04.05.2026**

1. सर्वप्रथम यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि यह प्रकरण श्रीमान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाड़मेर के आदेश द्वारा श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट, चौहटन के न्यायालय से स्थानांतरण रीति से अंतरित होकर इस न्यायालय में प्राप्त हुआ, जिसका बाद सुनवाई आज इस निर्णय द्वारा निस्तारण किया जा रहा है।
2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 05.02.2014 को दौराने रेड व गश्त करते हुये बस स्टैंड गडरा रोड पीओ राजीव परिहार मय जाब्ता मय सरकारी वाहन आरजे–04–यूए–2644 से मुख्य सड़क पर पहुंचे तब रमेश पुत्र जैतमाल गडरा रोड से एक प्लास्टिक के कैंपर में 25 पव्वे इंपेक्ट XXX रम अवैध अंग्रेजी शराब फोर सेल इन हरियाणा ऑनली बिना अनुज्ञापत्र व पारपत्र के बरामद कर नमूना लेने की कार्यवाही कर सील मोहर कर बाद थाना पहुंचकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर पेश किया। उक्त रिपोर्ट पर धारा

14/57, 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम अंतर्गत मुकदमा नंबर 43/2014 दर्ज किया गया एवं बाद अनुसंधान अभियुक्त रमेश के विरूद्व अपराध अन्तर्गत धारा 14/57, 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया, जिस पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त विरूद्व उपरोक्त धाराओं में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

3. तत्पश्चात् बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्त को उक्त अपराध का आरोप पृथक से विरचित कर सरे इजलास सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोपों से इंकार कर अन्वीक्षा चाही। जिस पर अभियोजन साक्ष्य प्रारंभ की गई।

4. अभियोजन पक्ष द्वारा निम्न सूची अनुसार मौखिक साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए गए हैं।

–:: अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाह सूची ::–

साक्षी का क्रम	साक्षी का नाम	संक्षिप्त विवरण/साक्षी की भूमिका
पीडब्ल्यू–1	देराजराम	फर्द जब्ती, नक्शा मौका, गिरफ्तारी, एफएसएल जमाकर्ता
पीडब्ल्यू–2	पोकराराम	फर्द गिरफ्तारी
पीडब्ल्यू–3	राजीव परिहार	जब्तीकर्ता व अन्वेषण अधिकारी
पीडब्ल्यू–4	उगमसिंह	फर्द जब्ती, नक्शा मौका

5. प्रकरण में दौराने विचारण सभी गवाहान के बयान लेखबद्व किए जाकर साक्ष्य अभियोजन समाप्त की गई।

–:: अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श सूची ::–

प्रदर्श संख्या	दस्तावेजों की प्रकृति	साबितकर्ता/प्रमाणितकर्ता
प्रदर्श पी–1	फर्द बरामदगी	पीडब्ल्यू –1,3,4
प्रदर्श पी–2	फर्द नक्शा मौका बरामदगी स्थल	पीडब्ल्यू –1,3,4
प्रदर्श पी–3	फर्द गिरफ्तारी रमेश	पीडब्ल्यू –1,2,3
प्रदर्श पी–4	अग्रेषण पत्र की कार्बन प्रति	पीडब्ल्यू –1,3
प्रदर्श पी–5	पर्चा एफआईआर	पीडब्ल्यू –3
प्रदर्श पी–6	नोटिस धारा 41 सीआरपीसी	पीडब्ल्यू –3
प्रदर्श पी–7	पूछताछ नोट रमेश	पीडब्ल्यू –3
प्रदर्श पी–8	एफएसएल रिपोर्ट	पीडब्ल्यू –3
प्रदर्श पी–9,10	मालखान रजिस्टर की प्रतियां	पीडब्ल्यू –3

6. अभियोजन पक्ष की ओर से आई विपरीत साक्ष्य के स्पष्टीकरण हेतु अभियुक्त को अंतर्गत धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता परीक्षित किया गया जिसमें अभियुक्त द्वारा अभियोजन साक्ष्य को गलत बताते हुए स्वयं का निर्दोष होना एवं झूठा फंसाये जाने का कथन करते हुए प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश करना नहीं चाहा जिस पर प्रतिरक्षा साक्ष्य बंद की गई।

7. तत्पश्चात् बहस अंतिम उभय पक्षकारान सुनी गयी। दौराने बहस अंतिम अभियोजन अधिकारी द्वारा तर्क दिया गया कि अभियुक्त के कब्जे से शराब बरामद की गई है तथा एफएसएल रिपोर्ट से भी बरामदशुदा शराब की बोतलों में अवैध शराब होना प्रमाणित हुआ है। अभियुक्त द्वारा अभियोजन मामले को झूठा व फर्जी साबित करने के लिये कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है। अंत में अभियुक्त को दोषसिद्ध घोषित किये जाने का निवेदन किया गया।

8. इसके विपरीत विद्वान् अधिवक्ता अभियुक्त ने तर्क दिया कि अभियुक्त के कब्जे से कोई शराब बरामद नहीं हुई है तथा फर्जी व झूठी बरामदगी दिखाई गई है। कोटा पूर्ति करने के लिये यह बरामदगी दिखाई गई है। गवाहान की साक्ष्य में विरोधाभास है तथा अभियोजन के सभी गवाहान पुलिस पार्टी के गवाह है। अभियोजन ने किसी भी स्वतंत्र साक्षी को पेश कर परीक्षित नहीं करवाया है। अभियोजन पक्ष अपने मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में विफल रहा है। अंत में अभियुक्त को दोषमुक्त घोषित किये जाने का निवेदन किया गया।

9. सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभय पक्षों के तर्कों व मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न है किः–

    1. क्या दिनांक 05.02.2014 को समय 08.10 पीएम पर या उसके लगभग सरहद गडरा रोड़ में बस स्टैंड गडरा रोड पर अभियुक्त के कब्जे से एक प्लास्टिक कैंपर में भरे हुए कुल 25 पव्वे इंपेक्ट XXX रम अंग्रेजी शराब के केवल हरियाणा में विक्रय योग्य बरामद किए गए। वक्त बरामदगी आपके पास उक्त शराब के राजस्थान में आधिपत्य/परिवहन बाबत किसी प्रकार का वैध अनुज्ञापत्र नहीं पाया गया?

    2. यदि हां, तो उचित दण्ड क्या होगा ?

10. हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष को दो बिंदु साबित करने है। प्रथमतः बरामदशुदा पव्वों में शराब थी तथा दूसरा उक्त शराब अभियुक्त के कब्जे से बरामद की गई जो हरियाणा में विक्रय योग्य थी जिसे राजस्थान में विक्रय/परिवहन की जा रही थी। हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त के कब्जे से एक प्लास्टिक के कैंपर में कुल 25 पव्वे बरामद किए गए जिसमें से एक सैंपल हेतु लिया जाकर उक्त सैंपल को देराजराम के द्वारा एफएसएल में जमा करवाया गया। उक्त गवाह **पीडब्ल्यू 01 दैराजराम** के रूप में परीक्षित हुआ है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में परिवाद के तथ्यों की ही पुष्टि करते हुए कथन किया कि दिनांक 05.02.2014 को मय जाब्ता सरकारी वाहन गश्त करते हुए गडरारोड पहुंचे तो मुखबीर इत्तिलानुसार उक्त सड़क मार्ग पर रमेश अवैध शराब बेच रहा था। मुखबीर सुचना विश्वसनीय होने से वह उक्त स्थान पर पहुंचे वहां एक व्यक्ति कैंपर लिए खड़ा था व हमें बावर्दी देखकर भागने में सफल रहा। मुलजिम की पहचान की गई तो उसका नाम रमेश मालूम हुआ। स्वतंत्र मौतबीर तैयार न होने से उक्त कैंपर को खोला गया तो उसमें से 25 पव्वे सील्ड हालत में मिले। जाब्ते को दिखाया गया। जब्ती को पुलिस जाब्ते द्वारा शराब होना जाहिर किया गया। इसके पश्चात् उक्त 25 पव्वों में से एक पव्वा एफएसएल सैंपल हेतु लिया जाकर मौके की कार्यवाही पूर्ण की गई तथा फर्द बरामदगी, फर्द नक्शा मौका तैयार किया गया, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। मुलजिम रमेश को गिरफ्तार कर फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 03 तैयार की गई, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त सैंपल को एफएसएल भेजने हेतु सुपुर्द किया, जिसे उसने एफएसएल में पेश कर प्राप्ति रसीद अनुसंधान अधिकारी को सुपुर्द की, जो प्रदर्श पी 04 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। इस गवाह ने जिरह द्वारा अधिवक्ता अभियुक्त में कथन किया कि बरामदगी हेतु वह भी गया था। मूवमेंट रजिस्टर में उसका नाम भी इंद्राज है। मूवमेंट रजिस्टर की प्रमाणित प्रति इस पत्रावली में नहीं है। जब वे बरामदगी स्थल पर पहुंचे तब तक मुलजिम वहां से भाग गया था। बरामदगीस्थल एक खुली जगह है तथा उसके आस–पास परकोटे व बस स्टैंड बने हुए हैं तथा थोड़ी दूरी पर आबाद मकान आए हुए हैं। अनुसंधान अधिकारी ने स्वतंत्र मौतबीर के लिए बुलाया लेकिन कोई भी स्वतंत्र मौतबीर बनने हेतु तैयार नहीं हुआ। यह कहना गलत है कि उसने प्रदर्श पी 01 व 02 पर पुलिस थाना में हस्ताक्षर किए हों। यह कहना गलत है कि वह बरामदगी स्थल पर साथ नहीं गया हो व मुलजिम को थाने में गिरफ्तार किया गया हो। उसके रूबरू मुलजिम को गिरफ्तार करते समय अनुसंधानकर्ता द्वारा कोई मौतबीर नहीं बुलाया गया। यह गवाह अग्रेषण पत्र प्रदर्शपी–4

व एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्शपी 8 को प्रमाणित करता है जिस पर प्रदर्शपी–8 एफएसएल रिपोर्ट का अवलोकन किया जावे तो उसमें नमूनों में मादक द्रव्य युक्त अंग्रेजी शराब होना पाया गया है, जिसकी कोई खंडनात्मक साक्ष्य अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा पेश नहीं की गई है। इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है कि उक्त बरामदशुदा पव्वों में शराब भरी हुई थी।

11. अब अभियोजन पक्ष को यह साबित करना है कि उक्त बरामदशुदा शराब की पव्वे अभियुक्त के कब्जे से बरामद हुईं, जो केवल हरियाणा में विक्रय योग्य थे, जिसकी राजस्थान में विक्रय/परिवहन का उसके पास कोई अनुज्ञा–पत्र या पारपत्र नहीं था। इस संबंध में सर्वप्रथम यह उल्लेख करना आवश्यक है कि उक्त प्रकरण की उत्पत्ति मिली मुखबीर इत्तिला के अनुसार दिनांक 05.02.2014 को किसी समय सरहद गडरा रोड़ सड़क मार्ग पर अभियुक्त कब्जे से एक प्लास्टिक के कैंपर में 25 पव्वे अंग्रेजी शराब बिना अनुज्ञापत्र व पारपत्र के बरामद हुए। इस संबंध में गवाह **पीडब्ल्यू 02 पोकराराम** ने अपनी मुख्य परीक्षा में दैराजराम के रूबरू अभियुक्त रमेश की गिरफ्तारी के संबंध में औपचारिक साक्ष्य दी है, जो प्रदर्श पी 03 है जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। जिरह द्वारा अधिवक्ता अभियुक्त में उसने अनुसंधानकर्ता द्वारा गिरफ्तारी के समय स्वतंत्र मौतबीर नहीं बुलाने का कथन किया है। अन्य गवाह **पीडब्ल्यू 03 राजीव परिहार** ने अपने मुख्य परीक्षा में अभियोजन की कहानी का औपचारिक समर्थन करते हुए बताया कि वह उक्त दिनांक को आबकारी थाना चौहटन में प्रहराधिकारी पद पर तैनात था तथा मुखबिर सूचना के आधार पर हमराह जाब्ते के साथ गडरा रोड पहुंचकर कार्यवाही की, जहां एक व्यक्ति पुलिस को देखकर केम्पर छोड़कर भाग गया, जिसे उसने एवं उसके साथियों ने रमेश पुत्र जेतमालसिंह के रूप में पहचाना। मौके पर कोई स्वतंत्र मौतबीर उपलब्ध नहीं होने पर जाब्ते के कर्मचारियों को ही मौतबीर बनाकर आरोपी द्वारा छोड़े गए केम्पर की तलाशी ली गई, जिसमें अवैध अंग्रेजी शराब के 25 पव्वे बरामद होना बताया। उनमें से एक पव्वा नमूना एफएसएल हेतु अलग कर मार्क ए अंकित किया गया तथा शेष 24 पव्वों को मार्क बी में सील कर जब्त किया गया। इस संबंध में फर्द जब्ती प्रदर्श पी 01, नक्शा मौका प्रदर्श पी 02, पर्चा एफआईआर प्रदर्श पी 05, गिरफ्तारी फर्द प्रदर्श पी 03, अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 04, धारा 41 सीआरपीसी नोटिस प्रदर्श पी 06, पूछताछ नोट प्रदर्श पी 07, एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी 08 तथा मालखाना व सैंपल रजिस्टर की प्रतियां प्रदर्श पी 09 व 10 प्रस्तुत होना बताया। बाद अनुसंधान आरोपी के विरुद्ध संबंधित धाराओं में आरोप

पत्र न्यायालय में पेश किया। जिरह द्वारा अधिवक्ता अभियुक्त में इस गवाह ने स्वीकार किया कि बरामदगी स्थल आबाद क्षेत्र था, स्वतंत्र मौतबीर उपलब्ध नहीं हुआ, केवल एक पव्वे का ही रासायनिक परीक्षण कराया गया, मूवमेंट रजिस्टर व लॉगबुक की प्रतियां पत्रावली में उपलब्ध नहीं हैं तथा मौके के मौतबीर उसके अधीनस्थ कर्मचारी थे। इस प्रकार इस गवाह का बयान मात्र औपचारिक है, जिसने अभियोजन कथा का समर्थन किया है। इस प्रकार गवाह **पीडब्ल्यू 04 उगमसिंह** ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन की कहानी का समर्थन करते हुए बताया कि वह उक्त दिनांक को आबकारी थाना चौहटन में जमादार पद पर तैनात था तथा प्रहराधिकारी राजीव परिहार व अन्य जाब्ते के साथ मुखबिर सूचना पर गडरा रोड पहुंचा, जहां एक व्यक्ति पुलिस को देखकर केम्पर छोड़कर भाग गया, जिसे उसने व सिपाही देराजराम ने रमेश पुत्र जेतमाल सिंह के रूप में पहचान किया। मौके पर कोई स्वतंत्र मौतबीर उपलब्ध नहीं होने से जाब्ते में से ही उसे एवं सिपाही देराजराम को मौतबीर मामूर कर आरोपी द्वारा छोड़े गए केम्पर की तलाशी ली गई, जिसमें 25 पव्वे अवैध अंग्रेजी शराब बरामद होना बताया। उनमें से एक पव्वा नमूना एफएसएल हेतु अलग कर मार्क ए अंकित किया गया तथा शेष 24 पव्वों को मार्क बी में सील किया जाना बताया। इस संबंध में फर्द जब्ती प्रदर्श पी 01 व नक्शा मौका प्रदर्श पी 02 तैयार होना तथा उन पर उसके हस्ताक्षर होना बताया, एवं शेष कार्यवाही थाने पर प्रहराधिकारी द्वारा की जाना बताया। जिरह द्वारा अधिवक्ता अभियुक्त में इस गवाह ने स्वीकार किया कि बरामदगी स्थल आबाद क्षेत्र था, स्वतंत्र मौतबीर उपलब्ध नहीं हुआ, 24 पव्वों का रासायनिक परीक्षण नहीं कराया गया, मूवमेंट रजिस्टर की प्रति पत्रावली में उपलब्ध नहीं है तथा वाहन का नम्बर उसे याद नहीं है, हालांकि उसने यह कथन अस्वीकार किया कि उसके हस्ताक्षर फर्दों पर थाने में करवाए गए थे या वह अधीनस्थ होने के कारण झूठा बयान दे रहा है। इस प्रकार इस गवाह ने अभियोजन कहानी का समर्थन किया है।

12. इसलिए अभियोजन पक्ष अपनी मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह की सीमा से परे साबित करने में सफल रहा है। अतः अभियुक्त रमेश को अपराध अन्तर्गत धारा 14/57 व 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत दोषसिद्ध घोषित किया जाना न्यायोचीत प्रतीत होता है।

–: **आदेश** :–

13. अभियुक्त रमेश कुमार पुत्र जैतमाल सिंह, उम्र 40 वर्ष, निवासी गडरा रोड, पुलिस थाना गडरा रोड, जिला बाड़मेर को अपराध अंतर्गत धारा 14/57, 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम के अपराध में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

(विजय कुमार)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
चौहटन, जिला बाड़मेर

–: **सजा के प्रश्न पर** :–

14. उभय पक्षकारान को सजा के बिंदु पर सुना गया। विद्वान अधिवक्ता अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि अभियुक्त गरीब नौजवान व्यक्ति है। अभियुक्त लगभग 11 वर्ष से अन्वीक्षा भुगत रहा है। अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है। अभियुक्त को गंभीर प्रकृति के अपराध में दोषसिद्ध घोषित नहीं किया गया है तथा अभियुक्त को पूर्व में किसी न्यायालय ने दोषसिद्ध नही किया है और ना ही अभियुक्त ने परीविक्षा अधिनियम का लाभ प्राप्त किया है जिसके संबंध में शपथ–पत्र भी पेश किया है। अंत में अभियुक्त को तुरंत सजा से दंडित न कर परिवीक्षा का लाभ दिए जाने का निवेदन किया। इसके विपरीत अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिया कि अभियुक्त के कब्जे से अन्य राज्य में निर्मित व विक्रय योग्य अवैध शराब की बरामदगी हुई है। अंत में अभियुक्त को परिवीक्षा का लाभ न दिया जाकर कठोर दंड से दंडित किए जाने का निवेदन किया।

15. उभय पक्षकारान के तर्कों पर मनन किया व पत्रावली का पुनः अवलोकन किया। अभियुक्त को धारा 14/57, 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम के अपराध में दोषसिद्ध घोषित किया गया है। अभियुक्त प्रकरण में लगभग 11 वर्ष से अन्वीक्षा भुगत रहा है। अभियुक्त को अन्य आपराधिक प्रकरण में दोषसिद्ध घोषित किये जाने अथवा पूर्व में परिवीक्षा का लाभ दिया जाकर रिहा किए जाने बाबत् किसी प्रकार का दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है जिसके संबंध में अभियुक्त ने शपथ–पत्र भी पेश किया है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, अभियुक्त के आचरण, अपराध की प्रकृति तथा बरामदशुदा शराब की मात्रा को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को तुरन्त सजा से दण्डित न किया जाकर परिवीक्षा का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: **दण्डादेश** :–

16. अभियुक्त रमेश कुमार पुत्र जैतमाल सिंह, उम्र 40 वर्ष, निवासी गडरा रोड, पुलिस थाना गडरा रोड, जिला बाड़मेर को धारा 14/57, 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम के अपराध में तुरंत कारावास से दंडित किए जाने की बजाए परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाकर आदेशित किया जाता है कि वह परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 के तहत शांति व सदाचार बनाए रखने, अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करने एवं न्यायालय द्वारा आहूत करने पर उपस्थित होकर सजा भुगतने बाबत् दो वर्ष की अवधि के लिए अभियुक्त 10,000/–रुपये का निजी बंधपत्र एवं इतनी ही राशि का एक जमानती का मुचलका तथा धारा 5 परिवीक्षा अधिनियम अंतर्गत 400/–रुपये (चार सौ रुपये मात्र) अभियोजन व्यय के रूप में जमा करावे। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जाहिर होता है कि अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है, इसलिए इस अपराध में अभियुक्त को धारा 12 परिवीक्षा अधिनिमय का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। हस्तगत प्रकरण में दी गई सजा के लिए अभियुक्त किसी निरर्हता से ग्रस्त नहीं होगा।

17. साथ ही अभियुक्त को आदेश दिया जाता है कि वह अपीलीय न्यायालय में अपनी उपस्थिति बाबत् धारा 437ए दंड प्रकिया संहिता के तहत 10,000/–रुपये के जमानत मुचलके आगामी 6 माह की अवधि के लिए पेश कर तस्दीक करावें। उक्त आदेशानुसार जमानत मुचलके पेश होने पर अभियुक्त के नियमित उपस्थिति बाबत् पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके स्वतः निरस्त समझे जावें।

18. तथापि प्रकरण में किसी संपत्ति/माल/वजह सबूत के जब्तशुदा रहने की स्थिति में बाद गुजरने मियाद अपील या अपील न होने की स्थिति में उसका नियमानुसार निस्तारण किए जाने हेतु संबंधित को तहरीर जारी किए जाने का आदेश पारित किया जाता है।

(विजय कुमार)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
चौहटन, जिला बाड़मेर

19. निर्णय आज दिनांक 04.05.2026 को लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विजय कुमार)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
चौहटन, जिला बाड़मेर